वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां No.4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा तय करे, गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पनियों / निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निधि की आक्रिमक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2016, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2016 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग ₹352519.19 करोड़ और ₹343650.16 करोड़ थीं। The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2016 were ₹352519.19 crores and ₹343650.16 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:— The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतू दी गई गारंटियां।

Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)		वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other		Invoked during the year	Outstanding at the end of the year		Guarantee Commission or Fee	Other material details
	year	the year		than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	the year	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11 रुपयों में) of rupees)
कृषि मंत्रालय — MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग Department of Agriculture and Co-opera		2500.00 (1)	150.00 (1)	#119.00	_	_	2531.00 (2)	1.50	1.50	_
वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs		*18999.14 (19)	***138.57	1884.79 (2)	_	_	17252.92 (17)	71.84	68.02	_

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा										
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय										
MINISTRY OF CONSUMER										
AFFAIRS, FOOD AND										
PUBLIC DISTRIBUTION	54495.00	54495.00	_	_	_	_	54495.00	**	**	_
	(2)	(2)					(2)			
उद्योग मंत्रालय —										
MINISTRY OF INDUSTRY—	-									
भारी उद्योग विभाग										
Department of Heavy Industry		449.01	_	20.00	64.01	112.00	253.00	15.49	3.17	_
	(9)	(9)					(9)			
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्र	गलय,									
खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग										
MINISTRY OF MICRO, SMA										
AND MEDIUM ENTERPRISE	S,									
KHADI & VILLAGE										
INDUSTRIES COMMISSION	204.50	204.50		//15.50			260.00	////71 10	11.11	
(KVIC)	284.50 (1)	284.50	_	#15.50	_	_	269.00	##71.19	##	
रसायन और उर्वरक मंत्रालय—	(1)	(1)					(1)			
MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS—										
रसायन और पेट्रो रसायन विभाग										
Department of Chemicals and										
Petrochemicals	2.55	@2.55	_		_	_	2.55	0.02	^	_
1 cu ochemicais	(1)	(1)					(1)	0.02		
	(1)	(1)					(1)			

विनिमय दर में बदलाव के कारण।

Payment of part loan.

^{*} Due to exchange rate variation.

^{**} मंत्रालय ने अपने दिनांक 25.4.2008 के पत्र द्वारा सरकार द्वारा निष्पादित एकल डिफाल्ट गारंटी के लिए देय गारंटी शुल्क को माफ कर दिया है।

^{**} Ministry vide its letter dated 25.4.2008 has waived the guarantee fee payable towards single default guarantee executed by the Government.

^{***}ब्याज अर्जित किए जाने के कारण

[#] अंश कर्ज की अदायगी

[^] परिशोधन के बाद से

^{***}Due to interest accrued.

[^] Since Liquidated

^{##} के वी आई सी न तो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और न ही लाभ अर्जित करने वाला संगठन है। यह एक प्रचार संगठन है।

^{##} KVIC is neither a public sector undertaking (PSU) nor a profit making organization it is a promotional organization.

[@] वर्ष 2012—13 के अन्त में बकाया गलती से ₹3.59 करोड़ दिखाया गया था (₹1.04 करोड़ की ली गई गारंटी के कारण)

[@] The outstanding at the end of the year 2012-13 was shown erroneously as ₹ 3.59 crore(due to addition of Guarantee taken as ₹1.04 crore).

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

Nο	4_	CHAL	2 4	NTFFS	CIVE	NRVT	HEUNIO	N GOVERNMENT-	_Contd
INU.	4-	UUAI	M		TTI V IV	NDII	HE UNIO	' Y (T() Y F; X Y Y F; Y -	-Comu.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)		वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other		Invoked during the year	Outstanding at the end of the year		Guarantee Commission or Fee	Other material details
	year	,		than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	,	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11 रुपयों में) of rupees)
फार्मास्युटिकल्स विभाग Department of Pharmaceuticals	#1067.19 (4)	1067.19 (4)	_	_	_	_	1067.19 (4)	70.03	_	_
जल संसाधन मंत्रालय MINISTRY OF WATER RESOURCES	_	_	_	_	_	_	_	*2.59	_	_

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जीं, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियांः
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

रसायन और उर्वरक मंत्रालय— MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS— रसायन और पेट्रो रसायन विभाग Department of Chemicals and Petro Chemicals 250.00 250.00 2.50 250.00 ^^__ (2) (2) (2) विद्युत मंत्रालय एसएलआर बांद MINISTRY OF POWER 7000.00 7000.00 70.00 SLR Bond 7000.00 70.00 (2) (2) (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय **MINISTRY OF CONSUMER** AFFAIRS, FOOD AND 16195.62 16195.62 3121.10 13074.52 PUBLIC DISTRIBUTION (17)(17)(2) (15)

^{^^} यह एक रुग्ण इकाई है।

^{^^} It is a sick unit.

^{*} गारंटी शुल्क की अदायगी देय तारीख को न किए जाने के लिए जुर्माना लगाने से संबंधित है। इसको माफ करने के लिए एक प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

^{*} Pertains to levy of Penalty for not making payment of Guarantee fee on due dates. A proposal for its waiver is under consideration of DEA, M/o Finance

[#] पिछले वर्ष के अंत शेष का समाधान किए जाने के कारण।

[#] Due to reconciliation of previous years closing balance.

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम Name of Ministry	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि Maximum Amount Guaranteed	वर्ष के आरंभ में बकाया Outstanding at the beginning of	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा) Deletion during the year		वर्ष के दौरान मांगी गई Invoked during the year	वर्ष के अंत में बकाया Outstand- ing at the end of		गारंटी कमीशन अथवा फीस Guarantee Commission or Fee	अन्य तात्विक ब्योरे Other material details
	during the year	the year		(Other than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	the year	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11 रुपयों में) of rupees)
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS	S 0.07 (2)	0.07 (2)	_	_	_	_	0.07 (2)	_	_	_
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी म MINISTRY OF COMMUNI AND INFORMATION TEC दूरसंचार विभाग	CATIONS									
Department of Telecommunications	7513.97 (4)	7513.97 (4)	_	_	_	_	7513.97 (4)	29.80	29.80	_

- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियां:
- (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVILAVIATION	36300.30 (28)	31094.57 (24)	5205.73 (4)	_	_	_	36300.30 (28)	98.58	@2.70	_
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	715.76 (3)	662.68	*53.08	*23.36	_	_	692.40 (3)	5.87	5.87	_
विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	32076.69 (39)	29468.00 (39)	*2608.69	669.91 (3)	_	_	31406.78 (36)	386.08	386.08	_
वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE – आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	138026.04 (179)	*110747.24 (164)	27278.80 (15)	2388.11 (15)	_	_	135637.93 (164)	147.91	145.59	_
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम म MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTER राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिग्नि	RPRISES									
National Small Industries Corporation Limited	60.72 (3)	55.06 (3)	*5.66	^2.35	_	_	58.37 (3)	0.31	0.22	_

^{*} विनिमय दर में बदलाव के कारण।

^{*} Due to exchange rate variation.

[^] कर्ज की पुनर्अदायगी और गारंटियों की संख्या शून्य है।

[^] Repayment of Loan and number of Guarantees is nil.

^{@ 31—3—2011} को बकाया गारंटी फीस ₹98.58 करोड़ है। 01.04.2011 से 31.03.2016 तक गारंटी फीस की गणना नहीं की गई है क्योंकि गारंटी फीस को माफ करने से संबंधित मामले को वित्त मंत्रालय ने अभी तक नहीं निपटाया है।

[@] Guarantee fee outstanding as on 31-3-2011 is ₹98.58 crore. From 01.04.2011 to 31.03.2016 guarantee fee have not been calculated as the issue related to waiver of Guarantee fee is yet to be settled by MoF.

वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के		वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	अलावा) Deletion during the year (Other		Invoked during the year	Outstanding at the end of the year		Guarantee Commission or Fee	Other material details
	year	the year		than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	the year	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (करोड	11 रुपयों में)
सड़क परिवहन और राजमार MINISTRY OF ROAD	र्ग मंत्रालय									of rupees)
TRANSPORT AND HIGH	HWAYS 713.56 (1)	##675.95 (1)	^37.61	^^42.76	_	_	670.80 (1)	1.76	1.76	_
नवीन और नवीकरणीय ऊज										
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	5261.26 (11)	4268.10 (10)	993.16 (1)	@241.55	_	_	5019.71 (11)	53.00	53.00	_
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL आवास और शहरी गरीबी	429.77 (2)	393.99 (2)	^35.78	^11.09	_	_	418.68 (2)	1.03	1.03	_
निवारण मंत्रालय MINISTRY OF HUPA	545.27 (2)	504.32 (2)	^40.95	^60.20	_	_	485.07 (2)	3.98	3.98	_

वाणिज्य विभाग DEPARTMENT OF COMMERCE	3.03	3.03 (1)		1.30			1.73 (1)	0.02	_	_
शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	543.05 (2)	503.71 (2)	^39.34	_	_	_	543.05 (2)	6.04	6.04	_
विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	28187.76 (5)	12833.00 (3)	#15354.76 (2)	_	_	_	28187.76 (5)	_	_	_

- (iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों / दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों / निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति—गारंटियांः —
- (iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

इस्पात मंत्राालय									
MINISTRY OF STEEL	610.36	610.36	_	_	92.00	 518.36	30.52	*	_
	(8)	(8)				(8)			

[^] विनिमय दर में बदलाव के कारण

[@] केवल गारंटी की राशि कम हुई है।

[^] Due to exchange rate variation.

[@] Only the amount of guarantee has been decreased.

[^] वर्ष के दौरान कर्ज की पुनर्अदायगी

[^] Repayment of loan during the year.

^{# ₹1219.75} करोड़ विनिमय दर में बदलाव के कारण शामिल है।

[#] Includes ₹ 1219.75 Crores due to exchange rate variation.

^{##} अंतिम विवरण में कालम 4 में ₹70.73 की बजाय ₹70.43 की राशि दर्शाई गई थी। इसके कारण अंत शेष ₹675.95 के स्थान पर ₹675.65 दिखाया गया था।

^{##} In last year statement an amount of ₹70.43 was shown in Col. 4 instead of ₹70.73. Due to this closing balance was shown as ₹675.65 instead of ₹675.95.

^{* 518.36} करोड़ के कर्ज को वित्त वर्ष 2015–16 के लिए नहीं किया गया था, जिसके कारण गारंटी फीस की देयता पर वित्त वर्ष 2015–16 के लिए विचार नहीं किया गया है।

^{*} Loan of ₹ 518.36 crore was not renewed for FY 2015-16 as such liability toward Guarantee fee has not been considered for FY 2015-16.

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)		वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the	उन्मोचित Discharged	Invoked during the year अननुमोचित Not Discharged	Outstanding at the end of the year	प्राप्य Receivable	Guarantee Commission or Fee प्राप्त की गई Received	Other material details
1	2	3	4	year) 5	6	7	8	9		11 रुपयों में) of rupees)

- (v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों / भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे / राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियां:--
- (v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

— शून्य / NIL —

- (vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:--
- (vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

— शून्य / NIL —

- (vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :--
- (vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:-

—शून्य / NIL —

- (viii) कोई अन्य –
- (viii) Any Other: —

— शून्य / NIL —